**संख्या- 6/2026/276/83-2026/1829665**

**प्रेषक,**

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

जिलाधिकारी/नियंत्रक,
समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद,
उत्तर प्रदेश।

**नागरिक सुरक्षा अनुभाग** **लखनऊ:दिनांक :: 27 मई,2026**

**विषय** -:वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों की वैधता की समाप्ति की तिथि से पुन: तैनाती/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के मध्य की सेवाओं हेतु उन्हें सामान्य स्वयंसेवक मानते हुए उनकी सेवाओं को निरन्तर माने जाने के संबंध में ।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के पत्र सं०-I/474331/2026 , दिनांक 19.02.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त वार्डेन सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सेवा की वैधता समाप्ति की तिथि से पुन: तैनाती/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के मध्य की सेवाओं हेतु उन्हें सामान्य स्वयंसेवक मानते हुए उनकी सेवाओं को निरन्तर माने जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**भवदीय,**
मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- कमांडेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**
जय सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in